

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय Office of the
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager,
बिलासपुर - (छ ग) Bilaspur(C.G.)

दर परिपत्र स. 76(मालभाड़ा)/2017

Rates Circular No.76(G)/2017

दिनांक / Date: 17/04/2017

सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy /Pt.I/ 2064

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ट्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

मंडल रेल प्रबंधक / DRMs / द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, / Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक / Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर / ARMs भिलाई, कोरवा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी / CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी) / Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी (टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर / Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक / SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, / CFTM

मुख्य यांत्रिक अभियंता / CME, मुख्य अभियंता / CE, मुख्य विद्युत अभियंता / CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, / Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगाव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जयलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेंट / EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.

महाप्रबंधक, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली., ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Movement of Restricted Commodities (Hydrated Lime) in Import Containers.

- संदर्भ / Ref:- (1) Railway Board's letter No. 2008/TT-III/73/8 dated 01.07.2008.
(2) Railway Board's letter No.2011/TT-III/73/9 dated 17.06.14, 30.6.15 & 08.11.16.
(3) This office Rates Circular No.105(G)/08, 108(G)/14 & 196(G)/16.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2011/TT-III/73/9 दिनांक 30/03/2017 (Container Train Circular : 04/2017) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Attention is invited to Railway Board letter No. 2011/TT-III/73/9 dated 08.11.2016 (Container Train Circular 04/2016) permitting movement of hydrated lime in container trains for a period of nine months , which is valid till 31.03.2017.

Contd..2..

It has now been decided that loading of hydrated lime in container trains may be permitted for one year, i.e. upto 31.03.2018 at FAK rates on experimental basis. Divisions shall closely watch the movement of Lime/Hydrated Lime from their Divisions to ascertain incremental quantity and earnings from movement of Hydrated lime.

FOIS/CRIS may capture the loading of Hydrated lime in containers under separate code issued by Railway Board vide letter No.2013/Stat.V/83/2/Code dated 07.08.2013 for analysis in the future.

This issues with the approval of Traffic Commercial and Finance Directorate of Railway Board.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।



(एस एम. गोंडाने)
उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक / पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक